संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग

विजयाराजे वात्सल्य भवन, 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

Email - icpsbhopal@gmail.com **Website:www. mpwcd.nic.in**

क्र./म.बा.वि./21/आईसीपीएस/WFH / **57** भोपाल,दिनांक-**28**/04/21

प्रति,

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषय – कोविड महामारी के दौरान जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में बच्चों को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभान्वित करने के सम्बन्ध में|

सन्दर्भ – संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्र. 548 दिनांक 28.09.20

विषयान्तर्गत वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान अनेकों बच्चे माता पिता की मृत्यु तथा अन्य विषम परिस्थितियों के कारण जोखिमपूर्ण अवस्था में आ गए हैं और बच्चों के रिश्तेदार व संरक्षकों द्वारा उनके पालन पोषण में भी असमर्थता की स्थितियां हो सकती हैं| ऐसे बच्चों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) दिशा निर्देश, 2020 की कंडिका क्रमांक 2.1.2 में निवारण प्रायोजन के लिए मापदंडों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी के सभी बच्चे स्पॉन्सरशिप अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में होंगे –

1. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता असहाय या किसी गंभीर/असाध्य बीमारी से पीडित है एवं जो गरीबी रेखा के नीचे निवासरत हैं।
2. ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है अथवा तथा रिश्तेदार की देखरेख में रह रहे है।
3. ऐसे बच्चे जो कोविड-19 अथवा किसी अन्य महामारी के कारण अपने माता-पिता के साथ पलायन करने बेरोजगार होने अथवा अन्य कारणों से विपरीत आर्थिक एवं मनोसामाजिक परिस्थितियों में रह रहे हैं।

अतः उपरोक्तानुसार दिशा निर्देशों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, आप जिले में वर्तमान कोविड महामारी के कारण माता पिता की मृत्यु होने से उत्पन्न हुयी जोखिमपूर्ण स्थिति में पाए जाने वाले बच्चों की पहचान कर, उन्हें तत्काल स्पॉन्सरशिप अंतर्गत लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें और कृत कार्यवाही से अवगत कराएँ|

(डॉ विशाल नाडकर्णी)
संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

पृ.क्र./म.बा.वि./21/आईसीपीएस/ WFH / **58** भोपाल, दिनांक **28**/04/21

प्रतिलिपि –

1. कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश
2. संयुक्त संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संभाग – समस्त, मध्यप्रदेश
3. बाल कल्याण समिति, जिला समस्त, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु|

संयुक्त संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश